

9/4/25

अधिवक्ता अपीलान्त अनु न्यायालय की ओर
से अपीलान्त व उनके अधिवक्ता को वार-वार
आवाजें लगाई गईं। लेकिन उनकी ओर से
कोई उत्तर नहीं आया। अतः पत्रावली अदम
हाजरी, अदम पैरवी व अदम तत्कील में
स्वारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर
है।

राजस्व अधिकारी
पत्रावली